(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (93)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 100 Dated: 23/1/ 2018

Notification No. 07/2018– State Tax (Rate)

No. F.3(93)/Fin (Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]", shall be substituted;

(ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake";

(iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry "7117" shall be substituted';

(iv) in S. No. 137, in column (3), after the words "used in agriculture, horticulture or forestry" the words, "other than ghamella", shall be added;

(v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry "Vibhuti", shall be substituted;

(vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"151	Any chapter	"Parts for manufacture of hearing aids";

2. The notification shall come into force on the 25th January, 2018.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(93)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 100 Dated: 23/1/ 2018

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 dated the 30th June, 2017 and last amended by Notification No. 42/2017 State Tax(Rate) dated 30th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (60)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/779, dated the, 30th November, 2017.

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03(93)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ /00 दिनांक 23/1/ 2018

अधिसूचना सं0 7/2018- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(93)/वित्त(राज0-1)/2017-18/.- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग(राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सं0फा0 (03) (15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/374 दिनाकं 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 102में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि"जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य,सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक[राइस ब्रानसे भिन्न]को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली";

(iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में"कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं", शब्दों के स्थान पर" घमेला से भिन्न"शब्दोंको प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "विभूति" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

"151	कोई भी अध्याय	"सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे";

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(93)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 100 दिनांक 23/1/ 2018

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेबसाइट।

(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30 नवम्बर, 2017 जिसे सं0फा0 03(60)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/779 दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।